मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 51

माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व		1918.98	2495.73	4414.71	1819.99	2495.73	4315.72	2124.24	2762.61	4886.85
	पूंजी		*0.02*	*...*	*0.02*	*0.01*	*...*	*0.01*	*0.01*	*...*	*0.01*
	जोड़		**1919.00**	**2495.73**	**4414.73**	**1820.00**	**2495.73**	**4315.73**	**2124.25**	**2762.61**	**4886.86**
1.	सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	2251	0.52	22.00	22.52	0.52	22.93	23.45	...	24.26	24.26
2.	विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.04	0.04	...	0.02	0.02	...	0.03	0.03
माध्यमिक शिक्षा											
3.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	2202	11.20	30.00	41.20	11.00	30.00	41.00	12.60	35.00	47.60
4.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2202	81.10	515.00	596.10	76.00	481.14	557.14	76.50	544.77	621.27
5.	नवोदय विद्यालय समिति	2202	349.50	95.00	444.50	345.00	94.04	439.04	324.00	122.60	446.60
6.	शिक्षा का व्यवसायीकरण	2202	1.70	...	1.70	0.70	...	0.70	3.00	...	3.00
		3601	40.75	...	40.75	36.55	...	36.55	41.50	...	41.50
		3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50
		जोड़	*42.70*	*...*	*42.70*	*37.50*	*...*	*37.50*	*45.00*	*...*	*45.00*
7.	विद्यालयों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी)	2202	4.00	...	4.00	0.20	...	0.20	9.40	...	9.40
		3601	80.00	...	80.00	73.30	...	73.30	89.50	...	89.50
		3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
		जोड़	*84.50*	*...*	*84.50*	*74.00*	*...*	*74.00*	*99.90*	*...*	*99.90*
8.	अपंग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा	2202	5.00	...	5.00	6.20	...	6.20	12.90	...	12.90
		3601	16.20	...	16.20	15.00	...	15.00	18.50	...	18.50
		3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10
		जोड़	*21.40*	*...*	*21.40*	*21.40*	*...*	*21.40*	*31.50*	*...*	*31.50*
9.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (इनसैट सैल)	2202	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	...	...	...
		3601	4.70	...	4.70	2.50	...	2.50	...	...	...
		जोड़	*13.70*	*...*	*13.70*	*11.50*	*...*	*11.50*	*...*	*...*	*...*
10.	विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार	2202	1.45	...	1.45	1.47	...	1.47	8.70	...	8.70
		3601	16.30	...	16.30	16.30	...	16.30	11.75	...	11.75
		3602	0.10	...	0.10	0.07	...	0.07	0.25	...	0.25
		जोड़	*17.85*	*...*	*17.85*	*17.84*	*...*	*17.84*	*20.70*	*...*	*20.70*
11.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	2202	8.30	...	8.30	5.30	...	5.30	13.50	...	13.50
12.	पर्यावरण अभिमुखी कार्यक्रम	2202	2.60	...	2.60	2.60	...	2.60	...	...	...
13.	जनसंख्या शिक्षा परियोजना (ई.ए.पी)	2202	3.50	...	3.50	2.50	...	2.50	2.03	...	2.03
14.	पहुंच और इक्विटी	2202	4.30	...	4.30	6.00	...	6.00	18.00	...	18.00
15.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन	2202	2.60	14.95	17.55	2.60	14.00	16.60	2.70	14.71	17.41
16.	अन्य कार्यक्रम	2202	9.45	1.08	10.53	2.16	1.02	3.18	8.10	1.33	9.43
जोड़-माध्यमिक शिक्षा			**652.70**	**656.03**	**1308.73**	**615.40**	**620.20**	**1235.60**	**654.53**	**718.41**	**1372.94**
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा											
17.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2202	460.08	1030.68	1490.76	435.78	1020.68	1456.46	465.08	1100.00	1565.08
18.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2202	59.00	2.00	61.00	56.00	1.80	57.80	60.30	2.00	62.30
19.	वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम	2202	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00	...	...	...
20.	विश्वविद्यालय और महा-विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार	3601	...	2.81	2.81	...	52.24	52.24	...	0.01	0.01
21.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	2202	15.35	16.00	31.35	15.35	16.00	31.35	15.75	24.00	39.75
22.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	2202	2.50	5.00	7.50	2.20	4.50	6.70	2.52	5.75	8.27
23.	ग्रामीण विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	2202	0.90	...	0.90	...	...	...	0.81	...	0.81
24.	शिक्षण कॉमनवेल्थ	2202	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
25.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	2202	2.50	3.25	5.75	2.50	3.25	5.75	2.47	4.50	6.97
26.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद	2202	2.26	2.17	4.43	2.26	2.17	4.43	2.16	2.80	4.96
27.	शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान	2202	...	2.00	2.00	...	1.64	1.64	...	2.00	2.00
28.	अन्य कार्यक्रम	2202	4.41	1.81	6.22	2.91	1.21	4.12	4.41	1.52	5.93
जोड़-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा			**575.00**	**1067.72**	**1642.72**	**545.00**	**1105.49**	**1650.49**	**553.50**	**1144.58**	**1698.08**

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
भाषाओं का विकास										
29. हिन्दी निदेशालय	2202	4.50	5.31	9.81	4.50	4.72	9.22	4.95	5.37	10.32
30. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	2202	1.80	1.36	3.16	1.80	1.36	3.16	1.89	1.38	3.27
31. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल	2202	4.25	4.50	8.75	5.70	4.65	10.35	5.17	6.00	11.17
32. हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण	2202	0.10	...	0.10	...	...	...	10.35	...	10.35
	3601	9.75	...	9.75	10.00	...	10.00	...	...	...
	3602	0.15	...	0.15	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*10.00*	*...*	*10.00*	*10.00*	*...*	*10.00*	*10.35*	*...*	*10.35*
33. क्षेत्रीय भाषा केन्द्र										
34. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद	2202	1.71	3.50	5.21	1.56	3.30	4.86	1.42	5.95	7.37
35. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान	2202	8.00	...	8.00	8.50	...	8.50	8.77	...	8.77
36. एनसीपीएसएल	2202	3.29	2.75	6.04	3.27	2.50	5.77	3.96	2.97	6.93
37. उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति										
	2202	0.40	...	0.40	0.20	...	0.20	0.36	...	0.36
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	...	...	...
38. राष्ट्रीय कश्मीरी भाषा संवर्धन परिषद	2202	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
39. राष्ट्रीय भारतीय भाषा आयोग	2202	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.05	...	0.05
40. आधुनिक भारतीय भाषाएं	2202	3.40	...	3.40	3.40	...	3.40	1.26	...	1.26
	3601	0.05	0.50	0.55	0.01	0.50	0.51	...	0.80	0.80
	जोड़	*3.45*	*0.50*	*3.95*	*3.41*	*0.50*	*3.91*	*1.26*	*0.80*	*2.06*
41. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2202	12.57	12.00	24.57	15.57	12.00	27.57	13.56	14.53	28.09
42. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	2202	3.00	...	3.00	0.66	...	0.66	2.70	...	2.70
43. संस्कृत शिक्षा का विकास	2202	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
	3601	7.00	...	7.00	10.80	...	10.80	8.55	...	8.55
	3602	0.98	...	0.98	0.68	...	0.68	0.89	...	0.89
	जोड़	*8.00*	*...*	*8.00*	*11.50*	*...*	*11.50*	*9.46*	*...*	*9.46*
44. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण	3601	10.00	...	10.00	2.00	...	2.00	...	...	...
	3602	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	...	...	...
	जोड़	*10.50*	*...*	*10.50*	*2.05*	*...*	*2.05*	*...*	*...*	*...*
45. संस्कृत - अन्य	2202	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.25	...	2.25
जोड़-भाषाओं का विकास		**75.00**	**29.92**	**104.92**	**72.24**	**29.03**	**101.27**	**66.15**	**37.00**	**103.15**
सामान्य										
46. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना/ग्रामीण क्षेत्रों से मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां	2202	0.04	0.78	0.82	0.02	0.73	0.75	0.11	0.86	0.97
	3601	2.85	0.21	3.06	0.76	0.25	1.01	6.80	1.41	8.21
	3602	0.11	0.01	0.12	0.02	0.01	0.03	0.29	0.08	0.37
	जोड़	*3.00*	*1.00*	*4.00*	*0.80*	*0.99*	*1.79*	*7.20*	*2.35*	*9.55*
47. पुस्तक संवर्धन	2202	12.00	6.50	18.50	15.17	6.36	21.53	10.80	7.40	18.20
48. भारतीय राष्ट्रीय आयोग/ यूनेस्को	2202	1.32	6.36	7.68	1.78	6.36	8.14	1.89	7.21	9.10
	2552	1.15	...	1.15	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़	*2.47*	*6.36*	*8.83*	*1.79*	*6.36*	*8.15*	*1.89*	*7.21*	*9.10*
49. आयोजना मानदण्ड	2202	3.00	2.10	5.10	3.00	2.10	5.10	2.84	2.38	5.22
	3601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	28.35	...	28.35
	जोड़	*23.00*	*2.10*	*25.10*	*23.00*	*2.10*	*25.10*	*31.19*	*2.38*	*33.57*
50. सांख्यिकी	2202	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.90	...	0.90
51. प्रशासन	2202	...	4.07	4.07	...	3.43	3.43	...	3.73	3.73
जोड़-सामान्य		**40.48**	**20.03**	**60.51**	**40.77**	**19.24**	**60.01**	**51.98**	**23.07**	**75.05**
जोड़-सामान्य शिक्षा		**1343.18**	**1773.70**	**3116.88**	**1273.41**	**1773.96**	**3047.37**	**1326.16**	**1923.06**	**3249.22**
तकनीकी शिक्षा										
52. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2203	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	...	...	...
53. समुदाय बहुशिल्प संस्थान	2203	50.90	2.00	52.90	35.00	1.00	36.00	63.00	2.00	65.00
54. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	130.60	346.50	477.10	132.79	386.41	519.20	126.00	438.00	564.00
55. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	2203	60.00	90.00	150.00	56.00	83.37	139.37	72.00	118.13	190.13
56. छात्रवृत्तियां/अप्रेंटरशिप प्रशिक्षण	2203	16.00	8.00	24.00	12.00	8.00	20.00	13.50	10.00	23.50
57. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर, और लखनऊ	2203	30.00	40.00	70.00	61.79	40.56	102.35	22.50	49.73	72.23

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
58. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2203	16.60	65.00	81.60	26.00	74.00	100.00	15.30	80.00	95.30
59. ए.आई.सी.टी.ई. तकनीकी शिक्षा ब्यूरो तथा इसकी एवं बोर्डों का पुनर्गठन, पुनर्संरचना तथा सुदृढ़ीकरण										
60. प्रौद्योगिकी विकास मिशन	2203	108.42	17.00	125.42	81.75	16.20	97.95	90.00	30.00	120.00
61. अपंगों के लिए पालीटेक्नीक	2203	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	7.20	...	7.20
62. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर	2203	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.40	...	5.40
63. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान	2203	35.00	...	35.00	31.60	...	31.60	2.25	4.50	6.75
64. राष्ट्रीय फोर्ज और फाउंड्री प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	8.66	7.00	15.66	3.89	7.00	10.89	4.50	8.00	12.50
65. आयोजना और वास्तुशिल्प विद्यालय	2203	3.49	5.00	8.49	2.49	4.10	6.59	3.15	6.00	9.15
66. तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	2203	3.00	5.50	8.50	0.87	5.00	5.87	3.60	6.00	9.60
67. संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	10.25	13.40	23.65	9.65	14.74	24.39	10.80	16.00	26.80
68. इंजीनियरिंग कालेज, जम्मू	2203	14.69	...	14.69	14.69	...	14.69	2.70	12.00	14.70
69. आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद	2203	1.50	...	1.50	...	...	...	...	...	...
70. आई.एस.एम., धनबाद	2203	20.00	...	20.00	14.70	...	14.70	2.25	4.50	6.75
71. अनुसंधान और विकास	2203	3.50	13.00	16.50	3.50	13.00	16.50	5.40	14.50	19.90
	2203	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	18.00	...	18.00
72. आधुनिकीकरण और पुरानी प्रणाली को हटाना	2203	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	13.50	...	13.50
73. तकनीकी शिक्षा के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र	2203	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	13.50	...	13.50
74. शिशु प्रशिक्षण बोर्ड	2203	1.35	2.00	3.35	1.00	1.85	2.85	1.35	2.00	3.35
75. प्रोफेसर और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2203	2.50	...	2.50	1.50	...	1.50	2.25	...	2.25
76. अन्य कार्यक्रम	2203	6.02	0.19	6.21	0.04	0.19	0.23	84.14	0.75	84.89
	3601	...	85.00	85.00	...	43.00	43.00	...	0.50	0.50
	4202	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*6.04*	*85.19*	*91.23*	*0.05*	*43.19*	*43.24*	*84.15*	*1.25*	*85.40*
पूर्वोत्तर क्षेत्र										
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास										
77. पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, इटानगर	2552	10.00	...	10.00	14.00	...	14.00	...	12.00	12.00
जोड़-तकनीकी शिक्षा		**575.00**	**699.59**	**1274.59**	**545.77**	**698.42**	**1244.19**	**582.30**	**814.61**	**1396.91**
खेलकूद और युवा सेवाएं										
78. शारीरिक शिक्षा	2204	0.24	0.40	0.64	0.24	0.40	0.64	0.43	0.65	1.08
	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.20	...	0.20
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.05	...	0.05
जोड़-खेलकूद और युवा सेवाएं		**0.30**	**0.40**	**0.70**	**0.30**	**0.40**	**0.70**	**0.68**	**0.65**	**1.33**
79. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान**	2552	...	...	...	...	...	...	215.11	...	215.11
कुल जोड़		***1919.00***	***2495.73***	***4414.73***	***1820.00***	***2495.73***	***4315.73***	***2124.25***	***2762.61***	***4886.86***
ग. आयोजना परिव्यय*-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	1344.18	...	1344.18	1273.56	...	1273.56	1326.91	...	1326.91
2. तकनीकी शिक्षा	22203	565.00	...	565.00	531.77	...	531.77	582.30	...	582.30
3. खेलकूद और युवा सेवाएं	22204	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.68	...	0.68
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.52	...	0.52	0.52	...	0.52	...	...	...
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	10.00	...	10.00	14.00	...	14.00	215.11	...	215.11
जोड़-केन्द्रीय आयोजना		**1920.00**	**...**	**1920.00**	**1820.15**	**...**	**1820.15**	**2125.00**	**...**	**2125.00**
मांग संख्या 83		1.00	...	1.00	0.15	...	0.15	0.75	...	0.75

** शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है।*

1. **सचिवालय** : इसमें सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था शामिल हैं।

2. **विवेकाधीन अनुदान** : स्कीम का नियंत्रण करने वाले नियमों के अनुसार पात्र मामलों में वित्तीय सहायता जारी करने के लिए यह राशि मानव संसाधन विकास मंत्री को सुपुर्द की गई है।

माध्यमिक शिक्षा :

3. **राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंघान तथा प्रशिक्षण परिषद** : एन.सी.ई.आर.टी. माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग को उसकी शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सलाह तथा सहायता प्रदान करती है । यह अनुसंधान, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यालय पूर्व और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट समयबद्ध परियोजनाओं तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा उसको सौंपे गए कतिपय विशेष क्षेत्रों के कार्यकलापों को भी संचालित करती है। स्कूली शिक्षा से संबंधित अनुसंधान के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान होने के कारण एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा बहुत से विकासात्मक कार्यकलाप भी किए जाते हैं जिनमें स्कूली शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा से संबधित पाठ्यक्रमों और शैक्षिक सामग्री का नवीनीकरण शामिल है। प्राइमरी-पूर्व प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी, मार्गदर्शन तथा परामर्श और विशेष शिक्षा के संबंध में परिषद द्वारा अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना एन.सी.ई.आर.टी. की अन्य मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं।

4. **केन्द्रीय विद्यालय** : केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, उनका नियत्रंण व प्रबंध करने के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक पंजीकृत निकाय के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1965 में स्थानान्तरणीय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की गई थी। यह संगठन विदेशों में स्थित 3 केन्द्रीय विद्यालयों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 854 केन्द्रीय विद्यालयों का प्रशासन करता है ।

5. **नवोदय विद्यालय** : प्रतिभाशाली बच्चों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, देश के प्रत्येक जिले में एक आवासीय विद्यालय अर्थात् नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 1985-86 में निर्णय लिया गया था । इन विद्यालयों को स्थापित करने और इनका प्रबंध करने के लिए एक स्वायत्त संगठन अर्थात् नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई है । इस समय, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, पूना, शिलांग, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना में नवोदय विद्यालय संगठन के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं । अब तक 432 नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए जा चुके हैं । नौंवी योजना के अंत में यह संख्या 468 विद्यालय हो जाने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत, सभी विद्यार्थियों को आवास, स्वानपान, स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की सुविधा मुफ्त दी जाती है।

6. **उच्चतर शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा :** उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1988 से कार्यान्वित की जा रही है और संशोधित कार्यक्रम 1993 से प्रचालन में है। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण वैयक्तिक रूप से रोजगार उपलब्ध कराने, प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग और उनकी आपूर्ति के बीच असंतुलन को कम करने और उच्चतर शिक्षा जारी रखने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए विकल्प उपलब्ध कराता है। इस समय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें योजना को कार्यान्वित कर रही हैं। योजना, राज्यों को प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने, क्षेत्र-व्यावसायिक सर्वेक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक, पाठ्क्रम गाईड, प्रशिक्षण नियमावली, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान विकास प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि के लिए तकनीकी सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। यह एन जी ओ और स्वयं सेवी संगठनों को विशिष्ट नवीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। योजना द्वारा अभी तक 6728 विद्यालयों में 19455 अनुभागों का विशाल बुनियादी ढांचा सृजित किया गया है ताकि इस प्रकार +2 स्तर के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों का स्थानान्तरण किया जा सके।

1996 में ओ आर जी द्वारा और 1999 में सीईपीआरए द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया था और इन अध्ययनों द्वारा पता लगाए गए मुख्य दोषों में राज्यों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को कम प्राथमिकता दिया जाना शामिल है। प्रचालन अनुसंधान दल के निष्कर्षों के अनुसार, योजना से उत्तीर्ण होने वालों को कार्य देने में सीमित परिणाम प्राप्त हुए हैं और यह देश में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण देने के लिए सबसे बड़े एकल कार्यक्रम के रूप में भी उभर कर सामने आया है। योजना आयोग ने दसवीं योजना के दौरान व्यावसायिक शिक्षा के लिए नीतियों को अन्तिम रूप देने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया है। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर योजना आयोग की संचालन समिति की बैठक में चर्चा की गई। दसवीं योजना के दौरान व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता पर और अधिक बल देते हुए, एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

7. **स्कूलों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी** : स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की भूतपूर्व स्कीम (क्लास) को दिनांक 1.4.1999 से समाप्त कर दिया गया है। एक नई संशोधित क्लास स्कीम तैयार की गई है जिसे 2001-02 के दौरान आरंभ किया जाएगा। 2002-03 के दौरान अर्थात् नौंवी योजना अवधि के अंतिम वर्ष में, संशोधित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 99.90 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए 11.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

8. **विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आई ई डी सी)** : इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य विकलांग बच्चों को स्कूलों में विद्यालय प्रणाली में बनाए रखने में सहायता पहुंचाकर सेवाएं उपलब्ध कराना है । योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहायक उपस्कर, प्रोत्साहन और विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ।विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरी सहभागिता) सरकारों को यह सुनिशिचत करने के लिए एक सांविधिक उत्तरदायित्व सौंपता है कि सभी विकलांग बच्चे 18 वर्ष की आयु तक उचित वातावरण में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। आई ई डी सी की योजना इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्यस्थों में से एक है। इस क्षेत्र में विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रचालन व अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है।

9. **शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम** : देश में प्राथमिक विद्यालयों से ऊपर के विद्यालयों में 1987-88 में एक संशोधित योजना आरंभ की गई जिसमें इनसेट उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए प्रयासों को समेकित करना, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यक्रमों संबंधी योग्यताओं को पैदा करना तथा रेडियो/टी.वी. के महत्व को बढ़ाना शामिल है । इस योजना में रंगीन टी.वी. सेटों की पूर्ति करने के लिए उपग्रह के माध्यम से ई.टी.वी. प्रसारण वाले राज्यों को प्राथमिक विद्यालयों के लिए 15,000 रुपए की लागत सीमा के अधीन 75 प्रतिशत सहायता और ऐसी राज्य सरकारों/सभी संघ राज्य क्षेत्रों में चुने हुए प्रारम्भिक/प्राथमिक विद्यालयों को रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स देने के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। अभी तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 4,02,613 रेडियों एवं कैसेट प्लेयर्स और 85989 रंगीन टीवी स्वीकृत किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत कार्यक्रम उत्पादन को मुख्य उद्देश्य मान कर आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में छह राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (एस आई ई टी) स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों को चलाने के लिए 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

10. **विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास** : इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं/पुस्तकालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विज्ञान से संबंधी सामान की पूर्ति और विज्ञान व गणित के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं को अपनाने के लिए स्वयं सेवी एजेन्सियों को भी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

11. **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कार्यक्रमः** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एन.ओ.एस.) का उद्देश्य उन लोगों को सार्थक, सतत शिक्षा प्रदान करना है जिन्होंने शिक्षा की औपचारिक प्रणाली के एक विकल्प के तौर पर मुक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से नियामक राष्ट्रीय नीति प्रलेखों के अनुरूप प्राथमिक से डिग्री स्तर तक पाठ्यक्रमों और सामान्य, जीवन समृद्धि कार्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी एवं विकासात्मक शिक्षा के अवसर खो दिए हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने नवशिक्षित, विद्यालय छोड़ने/विद्यालय से निकाले गए तथा एनएफई पूरा करने वाले विद्यार्थियों के लिए मुक्त बुनियादी शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम शुरू किया है।

शिक्षार्थियों की सुविधा के अनुरूप एन.ओ.एस. नूतन जांच स्कीम अर्थात् मांग पर जांच स्कीम भी तैयार कर रहा है। राज्य मुक्त विद्यालयों की स्थापना को सरल बनाने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय राज्य मुक्त विद्यालयों को संसाधन सहायता तथा परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह व्यावसायिक शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है और इसने कई पाठ्यक्रम शुरु किए हैं। इसके अतिरिक्त एन.ओ.एस. ने भारतीय परम्परा, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा तथा सामाजिक शिक्षा आदि विषयों में कुछ विकासात्मक पाठ्यक्रम शुरु किए हैं। एन.ओ.एस., जिसकी सूची पर 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं, विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालय प्रणाली है। इस समय एन.ओ.एस. के 1278 मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान (अध्ययन केन्द्र) तथा 414 मान्यताप्राप्त व्यवसायिक संस्थान हैं। वर्ष 2001 तक 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने एन.ओ.एस. पाठ्यक्रम पूरा करके संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।

12. **विद्यालयी शिक्षा के लिए पर्यावरणीय अभिमुखता :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी विद्यार्थियों के मन में प्रकृति के लिए सम्मान और उसकी उदारता का अति शोषण न करने का भाव पैदा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक संगठनों, पंजीकृत समितियों, शैक्षणिक संस्थाओं, लाभ न कमाने वाली कम्पनियों आदि को इस क्षेत्र में नवीन तथा प्रयोगात्मक परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

13. **राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना :** राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना अप्रैल, 1980 में आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में जनसंख्या शिक्षा का संस्थानीकरण करना था। यह परियोजना पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनपीएफ) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना के चौथे चक्र (1998-2001) को "जनसंख्या और विकास शिक्षा" के रूप में जाना जाता है। कुछ गतिविधियां विभिन्न स्वायत्त संगठनों अर्थात् सी.बी.एस.ई., एन.ओ.एस., एन.सी.टी.ई., के.वी.एस. और एन.वी.एस. को उप संविदा की गई हैं।

14. **माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं को मजबूत करना:** माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं को मजबूत करने की स्कीम के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर तबकों की किशोरियों की भर्ती को बढ़ाने के लिए पात्र स्वैच्छिक संठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जिलों, विशेषकर जहां मुख्यतया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी है, और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को दी जाती है।

सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन से 16.8.2001 से गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ा दिया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(i) इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की वर्तमान अनुदान की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है।

(ii) प्रति बालिका दी जाने वाली गैर-आवर्ती अनुदान राशि को 1,500 रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है।

(iii) किराया, मरम्मत तथा रख-रखाव को व्यय की 75 प्रतिवर्ष तक प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक मामले में 5,00,000 रुपए (मात्र पांच लाख रुपए) प्रत्येक वर्ष होगी। इस घटक का निर्धारण प्रत्येक बालिका के लिए स्थान के मानदंड़ों के आधार पर जिला स्तर पर जिला प्रशासन, जिसकी सिफारिश अनिवार्य है, द्वारा किया जाएगा। यह लाभ केवल ऐसे संगठनों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से ही इस उद्देश्य के लिए भवन नहीं है। ऐसे मामले में जिला प्रशासन की सिफारिशों के आधार पर उनके रख-रखाव और मरम्मत के लिए अपेक्षित धनराशि पर विचार किया जाएगा।

(iv) छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं, जो कक्षा VI से VIII में पढ़ती हैं को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी और इसे केवल वर्तमान की तरह कक्षा IX से XII तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। कक्षा VIII के पश्चात् व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाली बालिकाएं भी इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी।

(v) संगठन द्वारा छात्रावास चलाने की क्षमता के आधार पर, छात्रावास की अधिकतम सीमा को 50 बालिकाओं से बढ़ाकर 150 बालिका कर दिया जाएगा।

15. **केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन:** माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को शिक्षा के लिए भारत में विद्यालयों को सहायता पहुंचाना और उसका प्रबंधन करना है । इस समय प्रशासन देश के विभिन्न भागों में 88 विद्यालय चला रहा है । प्रशासन, मेधावी तिब्बती विद्यार्थियों को स्नातक से निचले स्तरों पर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और उन्हें उनके लिए आरक्षित स्थानों में एम.बी.बी.एस., इंजीनियरिंग, मुद्रण प्रौद्यौगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी सहायता करता है। प्रशासन, मुस्याध्यापकों और प्रधानाचार्यों सहित प्रशंसनीय अध्यापकों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करता है और इसने मसूरी स्थित अपने प्रशिक्षण स्कंध में अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है ।

16. **अन्य कार्यक्रम** : इनमें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिताओं, युद्ध के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेना बलों के कार्मिकों के बच्चों को शिक्षा में रियायत देने, अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरुस्कार देने, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आदि के लिए प्रावधान शामिल हैं।

विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा :

17. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** : इसकी स्थापना विश्वविद्यालय के स्तरों में समन्वय और निर्धारण के प्रयोजन से सन् 1956 में संसद के अधिनियम के अन्तर्गत की गयी थी । इसके कार्यो के निष्पादन के लिए अधिनियम के अंतर्गत आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के विकास और स्वरस्राव के लिए अनुदान वितरित व आबंटित करने का अधिकार प्राप्त है और अन्तरविश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना प्रचालन करने का अधिकार प्राप्त है ।

18. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आईजीएनओयु)** : जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को, और विशेष रूप से लाभ वंचित समूह को, उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने, नियमित शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने और महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों, जैसे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरु करने के लिए सितम्बर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय देश के शैक्षणिक पैटर्न में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली और मुक्त विश्वविद्यालय को बढ़ावा देगा और ऐसी प्रणालियों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करेगा । यह कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन सांविधिक प्राधिकरण के रूप में एक दूरस्थ शिक्षा परिषद स्थापित की गई है ।

19. **वैज्ञानिक अंनुसंघान को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित किया जाने वाला यह कार्यक्रम मूलतः कुछ तय किए गए क्षेत्रों में अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान कार्यकलापों का विकास हो सके।

20. **विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार** : यह प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित वेतन पुनरीक्षा समिति की सरकार द्वारा यथास्वीकृत सिफारिशों के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को उल्लिखित शर्तों के अधीन एक निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

21. **भारतीय समाजविज्ञान अनुसंधान परिषद** : भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना मुख्यतः अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करने, अनुसंधान अध्येतावृत्तियों को पुरस्कृत करने, अनुसंधान प्रणाली विज्ञान/कम्प्यूटर उपयोग संबंधी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने, अनुसंधान संस्थाओं को विकासात्मक अनुदान देने और अनुरक्षण अनुदान प्रदान करने, डाटा प्रोसेसिंग में मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, डाटा बैंकों की स्थापना करने, प्रलेखन सेवाओं के केन्द्रों का विकास करने, चुनिंदा समाजविज्ञान साहित्य के प्रकाशन/अनुसंधान प्रकाशनों/अनुसंधान सर्वेक्षणों और समाज विज्ञान से सम्बद्ध सेमीनारों और कार्यशालाओं के आयोजन और प्रायोजन को वित्तपोषित करने, अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने, उन्हें अध्ययन संबंधी अनुदान प्रदान करने आदि के लिए की गई थी।

22. **भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर)** : भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) की स्थापना ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए निधियां उपलब्ध कराने और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में की गई थी। यह कला, साहित्य और दर्शन तथा पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, पुरालेखशास्त्र और हस्तलिपियों के ऐतिहासिक अध्ययन जैसे सम्बद्ध विषयों सहित ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। परिषद फेलोशिप, अध्ययन व यात्रा अनुदान और प्रकाशन सब्सिडियां प्रदान करता है। यह सेमिनारों और शैक्षणिक सम्मेलनों का आयोजन करता है और ऐतिहासिक अनुसंधान करने के लिए देश के भीतर और बाहर यात्रा के लिए वित्तीय सहायता देता है।

23. **राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद** : राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद को 19 अक्तूबर, 1995 को हैदराबाद में केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया है । इसके लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मागांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के रूपान्तरण के लिए सूक्ष्म आयोजना की चुनौतियों को लिया जा सके और गांधीवादी प्राथमिक शिक्षा और नई तालीम के कार्यक्रमों में कार्यरत नेटवर्क को सुदृढ़ करने और संस्थाओं को विकसित करने का काम लिया जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद ने गैर लाभ संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को प्राथमिक शिक्षा, नई तालीम सम्बन्धी प्रकाशन, प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन आदि का कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

24. **कामनवैल्थ आफ लर्निंग** : कामनवैल्थ आफ लर्निंग (सीओएल) की स्थापना राष्ट्रमंडल देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से की गई थी। इसका कार्य दूरवर्ती शिक्षा द्वारा प्रदत्त क्षमता का प्रयोग करके राष्ट्रमंडल के माध्यम से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर ज्ञान के अवसर सृजित करना और उन तक पहुंच बढ़ाना है। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य है। सीओएल में सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से निधिपोषण किया जाता है। सीओएल इसमें 1988 से अंशदान कर रहा है। शिक्षा सचिव शासी निकाय-कामनवैल्थ आफ लर्निंग के बोर्ड आफ गवनर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के सम्बन्ध में सीओएल इ.गां. रा. मु. वि. भारत में राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को सहायता प्रदान कर रहा है।

25. **भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, (आईआईएएस)** : भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) अनुसंधान के लिए 1965 में गठित एक आवासीय केन्द्र है और यह चुनिंदा विषयों जैसे मानव विज्ञान, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान आदि में रचनात्मक विचारों के संवर्धन को प्रोत्साहित करता है। आईआईएएस, शिमला प्रतिवर्ष उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान करता है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर सेमिनार आयोजित करता है जिसमें सैद्धान्तिक मुद्दों और समकालीन समस्याओं की जांच करने के लिए संस्थान के शैक्षणिक बिरादरी के सदस्यों के साथ सहभागिता के लिए असाधारण विद्वानों और विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जाता है।

26. **भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आइसीपीआर), नई दिल्ली** : भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) की स्थापना सरकार द्वारा दर्शनशास्त्र और सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिषद फेलोशिप प्रदान करता है, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं और पुनश्चर्या पाठयक्रम आयोजित करता है, सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, विद्वानों को विदेशों में आयोजित सम्मेलनों/सेमिनारों में अपने पेपर प्रस्तुत करने के लिए यात्रा अनुदान देता है, बड़ी और लघु परियोजनाओं को प्रायोजित करता है और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के प्रकाशन और एक त्रैवार्षिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

27. **शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान** : शास्त्री भारत-कनाडाई संस्थान की स्थापना भारत सरकार और कनाडा की संयुक्त घोषणा द्वारा मुख्यतया शैक्षणिक क्रियाकलापों की सुविधाएं प्रदान करके भारत और कनाडा के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1968 में की गई थी। भारत सरकार 1968 में भारत सरकार और संस्थान के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुसार संस्थान को निधियां प्रदान कर रही है। समय-समय पर पूरक करार पर हस्ताक्षर करके इस करार को नवीकृत किया गया है। सातवें करार का कार्यकाल 31.3.99 को समाप्त हो चुका है जिसके अनुसार संस्थान को 1.4.94 से 31.3.99 तक की अवधि के दौरान 5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। करार-VIII के लिए करार का नवीकरण संस्थान के कार्यकलापों के पुनरीक्षण के बाद किया जाएगा।

28. **अन्य कार्यक्रम** : इनमें उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे कि डा. जाकिर हुसैन मैमोरियल कालेज ट्रस्ट, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अंशकालिक शिक्षा कार्यक्रम को अनुदान सहायता तथा विकास और आर्थिक अनुसंधान हेतु और बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा विश्वसंस्थान को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल हैं।

भाषाओं का विकास :

29. **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सी.एच.डी.)** : केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना 1960 में एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य हिन्दी भाषा का प्रचार और एक संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास करना था। इस निदेशालय के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी तथा चेन्नैई में स्थित हैं। इस संस्थान द्वारा द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दावलियों का प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम, हिन्दी लेखकों को पुरस्कार, विस्तार सेवाएं और कार्यक्रम, कैसेटों के द्वारा हिन्दी तथा हिन्दी प्रचार, जिसमें पुस्तकों के प्रकाशन और उनकी खरीद के लिए सहायता योजना भी शामिल है, जैसी योजनाओं का संचालन किया जाता है।

30. **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सी.एम.टी.टी.)** : वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना अक्तूबर, 1961 में की गई थी जिसका उद्देश्य हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करना, सभी विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें और संदर्भ साहित्य तैयार करना, अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान करना, एक राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना करना और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक माध्यम के निर्बाध परिवर्तन के लिए शब्दावली कार्यशालाओं का आयोजन करना था। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षिक माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के अपनाए जाने के लिए, आयोग द्वारा विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार की जाती हैं।

31. **केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल (के.एच.एस.एम., आगरा)** : हिन्दी के अखिल भारतीय मानकों को उन्नत करने और इसके विकास तथा पूरे भारत में प्रचार के लिए, एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था "केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल" की स्थापना 19 मार्च, 1960 में की गई थी। यह पूर्णतया निधिपोषित स्वायत्त संगठन है। इसके द्वारा केन्द्रीय हिन्दी विद्यालय, आगरा और दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी और शिलांग में क्षेत्रीय केन्द्रों का संचालन किया जाता है। यह संस्थान एक विशिष्ट भाषा के तौर पर हिन्दी के प्रयोग और इसके अध्यापन के प्रचार और विस्तार, जनजातीय भाषाओं का सर्वेक्षण और उनकी मातृभाषा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत करने तथा धीरे-धीरे शिक्षा को उनकी मातृभाषा से हिन्दी में परिवर्तित करने, सेवाकालीन अध्यापकों को पत्राचार के माध्यम से शिक्षित करने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अध्यापकों को अल्प अवधि वाले पाठ्यक्रम से परिचित कराने, हिन्दी के प्रचार के लिए एजेंटों और एजेंसियों को नियुक्त करने जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश में हिन्दी प्रचार की स्कीम भी चलाता है।

32, 37 तथा 40. **आधुनिक भारतीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति** : यह प्रस्ताव है कि हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति, उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति तथा आधुनिक भारतीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी तीन विभिन्न स्कीमों को समामेलित करके एक नई स्कीम बनायी जाए जिसका नाम आधुनिक भारतीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति होगा, जिसके निम्नलिखित तीन मुख्य घटक होंगेः-

(क) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों को वेतन दिया जाना जारी रहेगा;

(ख) इसी प्रकार राज्य सरकार के स्कूलों में उर्दू अध्यापकों का वेतन केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। इस स्कीम को केवल उन्हीं 325 ब्लाक्स/जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा जहां पर अशिक्षित पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों की बहुतायत है। इन क्षेत्रों की पहचान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है;

(ग) आधुनिक भारतीय भाषा घटक के अंतर्गत संविधान की अनुसूची 8 में दी गई भाषाओं (मातृभाषा/राजभाषा/राज्य की प्रथम भाषा) में से किसी भी भाषा, जिसे तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, के अध्यापक के वेतन को भी वहन करना होगा। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार के

स्कूलों में तृतीय भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना ही इस घटक का मुख्य उद्देश्य है।

इन तीनों स्कीमों के एकीकरण द्वारा केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को भाषाओं की एक अधिक आकर्षक और वास्तविक श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी जिसमें से हिन्दी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को कम किए बिना किसी भाषा का चयन किया जा सकेगा।

33 तथा 35. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी.आई.आई.एल.) जिसमें क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (आर.एल.सी.) भी शामिल हैं** : केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना जुलाई, 1969 में की गई थी तथा इसके मुख्य कैम्पस मैसूर, पटियाला, पुणे तथा सोलन में स्थित हैं। वर्ष 2002-03 के पश्चात् सी.आई.आई.एल. तथा आर.एल.सी. दोनों स्कीमों को सी.आई.आई.एल. शीर्षक के अंतर्गत एकीकृत करने का प्रस्ताव है। नामावली में परिवर्तन से यह दर्शाने में सहायता मिलेगी कि शाखाएं मुख्यालय से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। सी.आई.आई.एल. द्वारा लगभग सभी मुख्य भारतीय भाषाओं पर पुस्तकों का प्रकाशन, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम संबंधी इन-हाउस वीडियो फिल्मों का निर्माण, साक्षरता तथा साक्षरता पश्च सामग्री की आपूर्ति, अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा बहुत सी प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमीनारों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया है।

34. **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद** : राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में दिनांक 1.4.1996 से कार्य करना आरंभ किया है जिसका उद्देश्य कैलीग्राफी प्रशिक्षण केन्द्रों, उत्पादन और प्रकाशन योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम योजना के माध्यम से उर्दू भाषा के साथ-साथ अरबी और पारसी भाषाओं का संवर्धन करना है।

36. **राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एन.सी.पी.एस.एल., वडोदरा)** : राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना अप्रैल, 1994 में की गई थी जिसका उद्देश्य सिंधी साहित्य प्रकाशन/सम्मेलनों और गोष्ठियों के आयोजन द्वारा सिंधी भाषा का विकास, संवर्धन और प्रचार करना है।

38. **राष्ट्रीय कश्मीरी भाषा संवर्धन परिषद** : इस स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना से समाप्त कर दिया गया है।

39. **भारतीय भाषा संवर्धन परिषद** : देश में भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने तथा भारतीय भाषाओं के संवर्धन, विकास तथा प्रचार के लिए उपायों पर समय-समय पर सरकार को सिफारिशें करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारतीय भाषा संवर्धन परिषद का गठन किया गया है।

41. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान** : राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (i) संस्कृत के परिरक्षण, प्रचार, परम्परा, संस्कृत में परम्परागत शिक्षा और अनुसन्धान के आधुनिकीकरण और (ii) प्रचार के लक्ष्य वर्ष 1970 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया। स्थापित या अपनाए गए सभी केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों के प्रबंध के लिए इस संस्थान द्वारा गठित संस्थानों में अध्यापन के लिए विद्यार्थियों को डिग्रियां और प्रमाणपत्र प्रदान करता हैं। यह पूरे भारत में व्याप्त संस्कृत संगठनों, संस्थानों और संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों/शोध संस्थानों की स्कीम के अन्तर्गत 19 स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थानों और दो स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। संस्थान विद्वानों को उनके मूल/अनुसंधान कार्य के प्रकाशन और दुलर्भ संस्कृत पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए भी अनुदान देता है। संस्थान द्वारा विभिन्न शास्त्रों/संस्कृत अध्ययन की नियमावली में युवा विद्वानों और विद्यार्थियों को गहन प्रशिक्षण देने के लिए शास्त्र चूड़ामणि योजना के तहत संस्कृत के प्रतिष्ठित सेवानिवृत विद्वानों को भी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्थान भारत और विदेशों में संस्कृत के साधारण प्रशिक्षुओं के लिए हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत भाषा सीखने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है।

42. **महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन** : वैदिक अध्ययन के संवर्धन और विकास के लिए इस मंत्रालय के अंतर्गत महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है।

43 तथा 45. **संस्कृत शिक्षा का विकास :** भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती हैः (क) निर्धनता की स्थिति में प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों की सहायता, (ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण, (ग) हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना, (घ) हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, (ङ) संस्कृत के संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों हेतु तथा (च) स्कूलों, संस्कृत कॉलेजों/विद्यापीठों में संस्कृत पढ़ाने की प्रणाली को बेहतर बनाने तथा इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान/सम विश्वविद्यालयों/सी.बी.एस.ई./एन.सी.ई.आर.टी. आदि को उचित अनुकूल प्रदान करना।

44. **मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण** : मंत्रालय ने मदरसों की शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए पहले ही एक केन्द्रीय योजना स्कीम शुरु कर दी है। इस स्कीम का उद्देश्य मदरसों और मकतब्स जैसी पारंपरिक संस्थाओं को, उनके पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी शुरु करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना है। केवल मान्यताप्राप्त मदरसे ही राज्य सरकारों के माध्यम से आवेदन करने के पात्र हैं। यह स्कीम पूर्णतः स्वैच्छिक है।

सामान्य

46. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम** : क्रमशः मैट्रिक से आगे और 10+2 तक अपना शैक्षणिक अध्ययन जारी रखने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम और ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी 6 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत योग्यता के आधार पर मेधावी छात्रों का निर्धारित मानदंड पूरा करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए हिन्दी में मैट्रिक के आगे उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

47. **ग्रन्थ संवर्धन** : (i) ग्रन्थ संवर्धन क्रियाकलापों अर्थात् संगोष्ठियां/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, वार्षिक सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। 23 अप्रैल, 2001 से 23 अप्रैल, 2002 तक के वर्ष को "ग्रन्थ वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। (ii) भारत सरकार द्वारा 1957 में स्थापित नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया अच्छे साहित्य को तैयार करता है और उसे प्रोत्साहित करता है तथा लोगों को साधारण कीमतों पर ऐसा साहित्य उपलब्ध कराता है। नेशनल बुक ट्रस्ट को ग्रन्थ वर्ष मनाने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

48. **भारतीय राष्ट्रीय आयोग/यूनेस्को** : भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यूनेस्को के संविधान के अनुसार भारत ने अपने लोगों के बीच यूनेस्को के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की समझ बढ़ाने और यूनेस्को से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए यूनेस्को के साथ सहयोग हेतु एक भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है।

योजना मानदंड

49. (i) **राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान** : राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन.आई.ई.पी.ए.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एवं पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्तशासी संगठन है। इस संस्थान के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन में अनुसंधान को बढ़ावा देना एवं समन्वित करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, केन्द्र और राज्यों के स्तर के कर्मचारियों एवं वरिष्ठ स्तर से शैक्षणिक प्रशासकों को प्रशिक्षित करना, अन्य एजेंसियों, संस्थाओं एवं संगठनों के साथ सहयोग करना, दूसरे देशों विशेषकर एशियाई क्षेत्र के भाग लेने वालों को ऐसे प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करना, और इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए दस्तावेज, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें तैयार करना, उनका मुद्रण एवं प्रकाशन करना शामिल है। इस संस्थान के उद्देश्यों में अन्य देशों के साथ शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव एवं विशेषज्ञता की साझेदारी करना और तुलनात्मक अध्ययन करना भी शामिल है।

(ii) **शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, संगोष्ठियों, मूल्यांकन आदि की सहायता स्कीम** : शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, संगोष्ठी मूल्यांकन आदि की स्कीम का उद्देश्य योग्य संस्थाओं और संगठनों को प्रत्येक प्रस्ताव की पात्रता को देखते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रबंधन एवं कार्यान्वयन पहलुओं पर सीधा प्रभाव डालने वाले अनेक क्रियाकलापों का वित्त पोषण किया जा सके। इनके अंतर्गत संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का प्रयोजन, प्रभाव एवं मूल्यांकन अध्ययन तथा परामर्शी कार्य करना शामिल है ताकि प्रणाली को कार्यशील बनाने के लिए सरकार को सर्वोत्तम विकल्पों एवं माडलों की सलाह दी जा सके।

स्कीम के मार्गनिर्देशों को वर्ष 1999-2000 के दौरान संशोधित किया गया है। संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

परियोजना स्टाफ के भत्तों/यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों के भुगतान, लेखन सामग्री और मुद्रण, आवास/कार्यालय किराया और डाक खर्च आदि के लिए दी जाएगी। सामान्यतः अध्ययनों/मूल्यांकन के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 5.00 लाख रुपए प्रति परियोजना होगी। राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों पर व्यय की अधिकतम सीमा 3.00 लाख रुपए और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी/सदस्यों वाले सम्मेलनों के लिए 5.00 लाख रुपए है।

50. **सांख्यिकी** : आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने, सांख्यिकीय परिणामों के प्रकाशन में समय-अंतराल कम करने और समय-समय पर सर्वेक्षण करने को सरल बनाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक सांख्यिकी एवं शिक्षा प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना से संबंधित मशीनरी को सुदृढ़ करने की एक केन्द्रीय स्कीम सक्रिय रूप से विचाराधीन है। वर्तमान स्कीम में अर्हता प्राप्त कार्मिकों की नियुक्ति के द्वारा इस कमी को दूर करने का ही नहीं बल्कि डी.पी.ई.पी. आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के अधीन पहले से ही विद्यमान जनशक्ति एवं उपस्करों का जायजा लेना भी है। जनशक्ति एवं उपस्कर की एक साथ उचित रूप से "पूलिंग" की जाएगी और सरकार द्वारा चलायी गई विभिन्न शैक्षणिक स्कीमों के समग्र अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए उसका उपयोग किया जाएगा।

यह स्कूल मैपिंग, सूक्ष्म योजना, प्रबंध और महत्वपूर्ण संकेतकों की मानीटरिंग के अनुवर्ती कार्य को भी सुदृढ़ करेगा। यह प्रणाली विश्वसनीयता एवं जिम्मेदारी का एक तत्व प्रदान करेगी।

51. **प्रशासन** : इसमें विदेश में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

तकनीकी शिक्षा

52. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसके तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

53. **समुदाय बहुशिल्प संस्थान** : समुदाय बहुशिल्प संस्थान का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के लिए परिवेश को नुकसान पहुंचाए बिना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए समुदाय का सतत विकास करना, सूक्ष्म स्तरीय आयोजना और मूल स्तर पर लोगों की भागीदारी के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना में दक्षता अभिमुखी तकनीकी/व्यवसायिक शिल्पों में आयु, लिंग अथवा योग्यता को ध्यान में रखे बगैर स्थापन एवं संस्कृति संबंधी साधारण जरूरत के आधार पर अल्पावधि प्रशिक्षण सृजन और महिलाओं से कड़ी मेहनत पर रोक लगाने पर बल दिया गया है। यह प्रशिक्षण विशेषरूप से बेरोजगार/अल्प रोजगार वाले युवकों/विद्यालय/महाविद्यालय से पढ़ कर निकले छात्रों, शोषित और सुविधा-रहित वर्गों जिनमें महिलाएं, अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्ग शामिल हैं, की जरूरतों इन बहुशिल्प संस्थानों में प्रौद्योगिकी अन्तरण, तकनीकी सहायता और समुदाय में विज्ञान और प्रौद्योगिक संबंधी जागृति लाना जैसे कार्य भी किए जाते हैं। इस स्कीम को समग्र रूप से प्रशिक्षणार्थियों, स्थानीय कर्मचारियों और समाज/समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के प्रयत्न जारी हैं। रोजगार अनुपात बढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता आधारित पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है ताकि 3 से 6 महीनों की अवधि का अनौपचारिक प्रशिक्षण दिया जा सके। यह पालीटेकनिक समुदाय के लिए प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण तकनीकी सहायता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता जैसे कार्यकलाप भी चलाते हैं।

54. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान** : मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थापित छह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं। आईआई टी भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शिक्षा, अनुसंधान और सेवाओं के माध्यम से ज्ञान के उत्थान, प्रसार और प्रयोग में लगे हैं। आईआईटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं में अंडर ग्रेजुएट और स्नातकोत्तर तथा शोध आधारित स्नातकोत्तर और डाक्टरी कार्यक्रमों को पेश करते हैं।

भारत सरकार ने रुड़की विश्वविद्यालय को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) में परिवर्तित करने और उसे आई.आई.टी. प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने अपना अनुमोदन दे दिया है और प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001 संसद में प्रस्तुत करने की वैधानिक प्रक्रिया चल रही है।

55. **क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज** : प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उपक्रमों के रूप में इन 17 कालेजों की स्थापना की गई थी । इनमें से 14 की स्थापना 1959-60 के दौरान की गई थी। अंतिम कालेज की स्थापना जालंधर, पंजाब में 1986 में की गई थी। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य से छात्रों की भर्ती और अखिल भारतीय आधार पर सर्वोत्तम उपलब्ध संकाय की नियुक्ति के द्वारा प्रत्येक कालेज राष्ट्रीय स्वरूप को सुनिश्चित करता है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को गति निर्धारक के रूप में कार्य करना होता है और संबंधित क्षेत्रों में अन्य तकनीकी संस्थाओं को शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना होता है। कालेजों की स्थापना समिति निबंधन अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम संख्या XXI) के अंतर्गत स्वायत्तशासी निबंधित समितियों के रूप में की गई थी।

कालेजों को एक गवर्नर बोर्ड (बी.ओ.जी.) द्वारा प्रशासित किया जाता है जिसमें वित्तीय एवं प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से काफी अधिक स्वायत्तता रहती है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज प्रणाली के लिए व्यापक नीतियों पर सलाह देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार परिषद होती है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं।

शैक्षणिक रूप से कालेजों को क्षेत्र में उन संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध किया जाता है जहां क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थित हैं। इस संरचना के अंतर्गत इनमें से कुछ कालेजों ने उनसे संबद्ध क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान कर दी है।

इन कालेजों के स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों पर आवर्ती व्यय का 50% और संपूर्ण गैर-आवर्ती व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। शेष 50% आवर्ती व्यय उस राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है जहां क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थित है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संपूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

राज्यों के सभी इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश के लिए संबंधित राज्य के तकनीकी शिक्षा विभागों द्वारा प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश दिए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज में 50% सीटें उन उत्तीर्ण छात्रों में से भरी जाती हैं जो क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज वाले राज्य से परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। शेष 50% सीटें मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्तर पर किए गए पूर्व निर्धारित बंटवारे के आधार पर अन्य राज्यों/संघ राज्यों से आने वाले छात्रों द्वारा भरी जाती हैं। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सच्चे राष्ट्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए अपनाई गई है।

56. **अप्रटिसशिप प्रशिक्षण योजना** : यह योजना समय-समय पर यथासंशोधित अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के अनुसार तथा केन्द्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार भिन्न-भिन्न उद्योगों और अन्य संगठनों से उत्तीर्ण स्नातक इंजीनियर, डिप्लोमाधारी और 10+2 (व्यावसायिक) पाठ्यक्रम उर्त्तीण करने वालों को व्यवहारिक प्रशिक्षण में अवसर उपलब्ध कराती है।

57. **भारतीय प्रबंध संस्थान** : शिक्षा के उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, लखनऊ, इन्दौर और कालीकट में भारत सरकार द्वारा 6 भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य प्रबंध में शैक्षणिक प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्शी सेवा प्रदान करना है। यह संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पी.जी.पी.), फैलोशिप कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रम चला रहे हैं। यह संस्थान अनुसंधान और परामर्शी सेवाओं में मुख्य भूमिका निभा रहा है और देश के औद्योगिक विकास हेतु उल्लेखनीय सहायता प्रदान कर रहा है।

58. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर** : वर्ष 1909 में स्थापित भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर एक मान्य विश्वविद्यालय एवं अग्रणी संस्थान है जिसने इंजीनियरी विज्ञानों और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के एक उत्कर्ष केन्द्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। यह संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बहुत से मुख्य क्षेत्रों में पुरोगामी कार्य कर रहा है।

59. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद** : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक वैधानिक संस्था के रूप में का गई थी जिसका उद्देश्य देश भर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास करना, योजनाबद्ध गुणवत्ता विकास के लिए ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली और उससे संबंधित मामलों के मानकों का विनियमन और उनका अनुरक्षण करना है। इस परिषद द्वारा बहुत सी योजनाएं चलायी जाती हैं जैसे, माडर्नाइजेशन एंड रिन्युअल आफ ओबसोलीसेंस, अनुसंधान और विकास तकनीकी शिक्षा विशिष्ट

क्षेत्र कार्यक्रम, अर्ली फेकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम, यात्रा और सम्मेलन अनुदान, अमीरात शिक्षावृत्ति आदि जिसका उद्देश्य देश में तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाना है। इस परिषद द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना प्रणाली को अनुदान भी दिया जाता है, जिसका प्रयोजन इसके 21 केन्द्रों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश में मानव शक्ति की आवश्यकता से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना है, इसकी रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को भविष्य की योजनाओं के लिए भेजी जाती है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए परिषद द्वारा सभी राज्य सरकारों को परामर्श भी प्रदान किया जाता है।

60. **प्रौद्योगिकी विकास मिशन** : प्रौद्योगिकी विकास मिशन पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में स्वाद्य प्रसंस्करण अभियान्त्रिकी, एकीकृत डिजाईन और प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण, छायाचित्रण साधन तथा प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सक्षम प्रौद्योगिकी और साधन, प्राकृतिक संकट प्रशमन, दूरसंचार विस्तार केन्द्र और आसूचना स्वचलन, नई भौतिक और जेनेटिक अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं ।

61. **अपंगों के लिए पोलीटेक्नीक :** योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग, आंशिक रूप से गूंगे व बहरे) व्यक्तियों को मुख्य धारा में मिलाने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 50 विद्यमान पोलीटेक्निकों के उन्नयन करने और उनका चयन करने के लिए है। यह संभावना है कि इन 50 पोलीटेक्निकों से विभिन्न पाठयक्रमों से प्रतिवर्ष लगभग 1250 अक्षम नियमित छात्र और अल्पाविधक क्रमिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 5000 अक्षम विद्यार्थी पास हो कर निकलेंगे।

62. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, ग्वालियर :** भारत सरकार ने 61.69 करोड़ रुपए की कुल लागत से ग्वालियर में यह संस्थान स्थापित किया है। संस्थान के केन्द्रीय शैक्षिक कार्यक्रम में साढ़े पांच वर्ष का एकीकृत कार्यक्रम शामिल है जिसकी प्रवेश योग्यता उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र है जिसके बाद आसूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध में डिप्लोमा प्राप्त होगा तथा चुनिन्दा क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री की प्रवेश योग्यता सहित आसूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त होगा। यह भी समझा जाता है कि यह संस्थान कला जानकारी के क्षेत्र के विस्तार के लिए तथा उद्योग में व्यावसायिकों के लिए आसूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध के मुख्य क्षेत्रों में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त आईआईआईटीएंडएम, ग्वालियर अनुसंधान, अभिकल्प और विकास, परामर्श, फैलोशिप कार्यक्रमों के संबंध में भी काम करेगा।

63. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई :** भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन (आई.एल.ओ.) के माध्यम से यू.एन.डी.पी. की सहायता से वर्ष 1963 में एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, (एन आई आई ई) की स्थापना की गई। यह औद्योगिक इंजीनियरी एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में दीर्घावधि एवं अल्पावधि पाठ्यक्रमों, उद्योग/संगठन की विशेष जरूरतों के अनुरूप उद्योग-उन्मुखी कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है, पाठ्यचर्या (अक्षरमाला) शिक्षण सामग्री, प्रतिमानों एवं मानकों को विकसित करता है तथा औद्योगिक इंजीनियरी और सम्बद्ध विषयों में संलग्न अन्य संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है, प्रयुक्त अनुसंधान कार्य करता है, पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करता है, भारतीय अपेक्षाओं के अनुरूप औद्योगिक इंजीनियरी की तकनीकियां अपनाता है, औद्योगिक इंजीनियरी और उत्पादकता तकनीकियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य संस्थाओं/संगठनों और व्यावसायिक निकायों को सहयोग देता है। उपरोक्त के अतिरिक्त 1994 से इस संस्थान द्वारा औद्योगिक प्रबंध पाठ्यक्रम तथा शिक्षावृत्ति कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं जिन्हें पी.एच.डी. के समतुल्य माना जाता है। इस संस्थान को एक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केन्द्र के रूप में मान्यताप्राप्त है।

64. **राष्ट्रीय संधानशाला (फाउण्डरी) और भट्टी (फोर्ज) प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची :** भारत सरकार द्वारा यू एन डी पी की सहायता से वर्ष 1966 में राष्ट्रीय संधानशाला और भट्टी प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई एफ एफ टी) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, संधानशाला, भट्टी और सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों का संचालन करना है और इन उद्योगों को प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन और प्रलेखन सेवाएं प्रदान करना है। यह संस्थान (i) फाउन्डरी तथा फोर्ज प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण इंजीनियरी में एम.टेक. पाठ्यक्रम, (ii) विनिर्माण, मेटेलर्जी तथा मेटीरियल इंजीनियरी में बी.टेक. पाठ्यक्रम, (iii) फाउन्डरी तथा फोर्ज प्रौद्योगिकी में एडवान्स्ड डिप्लोमा (iv) उद्योगों द्वारा नामित किए गए भागीदारों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में अल्पावधि पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा (v) उद्योगों, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा संस्थाओं के अनुरोध पर अल्पावधि यूनिट आधारित कार्यक्रम का संचालन करता है।

65. **आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली** : भारत सरकार द्वारा वर्ष 1955 में स्थापित नगर एवं देहात आयोजना विद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना है। वास्तुकला के क्षेत्र में भी शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1959 में वास्तुकला विभाग को शामिल किए जाने के बाद इस विद्यालय को पुनः आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) का नाम दिया गया।

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, जिसे 1979 में एक सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था, द्वारा मानव निवास स्थल तथा पर्यावरण के विभिन्न पक्षों के क्षेत्र में वास्तुकला, आयोजना, डिजाइन तथा प्रबंध संबंधी स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इस विद्यालय द्वारा दो स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम (i) वास्तुकला स्नातक (ii) भौतिक आयोजना स्नातक तथा दस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमः (i) वास्तुकला संरक्षण स्नातकोत्तर (ii) शहरी डिजाइन वास्तुकला स्नातकोत्तर (iii) औद्योगिक डिजाइन वास्तुकला स्नातकोत्तर (iv) लैन्ड-स्केप वास्तुकला स्नातकोत्तर (v) पर्यावरण आयोजना स्नातकोत्तर (vi) आवास आयोजना स्नातकोत्तर (vii) क्षेत्रीय आयोजना स्नातकोत्तर (viii) परिवहन आयोजना स्नातकोत्तर (ix) शहरी आयोजना स्नातकोत्तर तथा (x) भवन इंजीनियरी तथा प्रबंध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस विद्यालय के फैकल्टी सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय और शहरी विकास से संबंधित नीति और योजना निर्धारण में सक्रिय योगदान होता है तथा इन्हें केन्द्रीय और राज्य सरकारों, योजना आयोग तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा स्थापित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों/आयोगों में नियुक्त किया जाता है।

66. **तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान :** बहुशिल्प अध्यापकों को प्रशिक्षण देने एवं बहुशिल्प शिक्षा के समुचित सुधार हेतु विभिन्न अन्य कार्यकलाप शुरू करने के लिए साठ के दशक की मध्यावधि के दौरान भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और चेन्नई में चार तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। भोपाल और चेन्नई तथा हाल ही में चण्डीगढ़ स्थित संस्थान में तकनीकी शिक्षा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के अलावा, इन संस्थानों में संसाधन विकास, विस्तार कार्य, परामर्शदायी एवं परियोजना निर्माण जैसे कार्यकलाप भी शुरू किए गए हैं।

67. **सन्त लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल जिला संगरूर, पंजाब :** सन्त लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सोसायटी पंजीकरण के अधीन पंजीकृत एक स्वायत्त संस्थान है जो पंजाब राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 500 एकड़ जमीन पर बना एक प्रतिष्ठित एवं पूर्णतः वित्त पोषित संस्थान है। इस संस्थान की शैक्षणिक प्रणाली नेरिस्ट की पद्धति पर तैयार की गई है। जिसमें त्वरित गतिशीलता और इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों के भिन्न-भिन्न स्तरों पर एकीकृत रूप में शाखा-वार पाठ्यक्रम अर्थात् प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्री, लागू किए गए हैं। शिक्षा संबंधी कार्यक्रम गैर-पाम्परिक, लागत प्रभावी, लचीले, माडयूलर और ऋण पर आधारित और विकसित उद्यमशीलता युक्त है जिनमें स्वरोजगार और बहु-विषयी प्रविष्टि पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करते हुए विभिन्न स्तरों पर शिक्षा को जारी रखने पर बल दिया गया है। इस संस्थान में 12 प्रमाणपत्र, 10 डिप्लोमा और 8 डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है।

68. **राजकीय इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जम्मू :** जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने 1994 में जम्मू में एक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस कालेज की शुरुआत पुराने यूनिवर्सिटी कैम्पस में की गई लेकिन वहां के आधारभूत संरचना एक इंजीनियरी कालेज के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में चक बाईवाल में भूमि की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। भवन तथा नए कैम्पस के लिए निर्णय तैयार कर लिया गया है। इस परियोजना पर 36.00 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। अभी तक भारत सरकार ने 2.50 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है।

69. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद :** भारत सरकार ने 41.10 करोड़ रुपए की लागत पर इलाहाबाद में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है। संस्थान के प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रमों में 10+2 की

प्रवेश स्तर की योग्यता सहित $5^{1/2}$ वर्ष का समेकित कार्यक्रम शामिल होगा। संस्थान ने आईटी में बी.टेक पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया है।

संस्थान उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा, राष्ट्र को असाधारण व्यावसायिक जनशक्ति प्रदान करेगा, अग्रणी स्तर के अनुसंधान व विकास करेगा और उद्योग और अन्य इच्छुक एजेन्सियों को विश्लेषण और सलाह प्रदान करेगा और देश में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटरों और सम्बद्ध प्रौद्योगिकियों में कार्यरत संस्थाओं का एक नेटवर्क बनाने का प्रयास करेगा। यह राष्ट्रीय कृतिक बल जिसने सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी स्तर के कई उत्कृष्टता केन्द्रों की सिफारिश की थी के भी अनुरूप है, जिनमें पहला इलाहाबाद में स्थापित किया जाने वाला पहला संस्तुत केन्द्र है।

70. **इंडियन स्कूल आफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद :** भारत सरकार द्वारा इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की स्थापना 1926 में प्रबन्ध इलेक्ट्रानिकी एवं इंस्ट्रूमेंटेशन, पर्यावरणिक विज्ञान और इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, व्यवहारिक विज्ञान और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के संबंधित क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के अतिरिक्त खनन, पैट्रोलियम, मशीनरी, खनिज इंजीनियरिंग और भूमि विज्ञानों के क्षेत्रों में राष्ट्र की मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी।

आई.एस.एम. द्वारा माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी पेट्रोलियम इंजीनियरी, मिनरल इंजीनियरी, कम्प्यूटर साइन्स तथा इंजीनियरी, इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरी के क्षेत्र में 4-वर्षीय बी.टेक. एकीकृत कार्यक्रम तथा अप्लाईड ज्योलोजी तथा एप्लाईड ज्योफिजिक्स में एम.एस.सी. (टेक) डिग्री के लिए साइन्स स्नातकों हेतु 3-वर्षीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्कूल द्वारा इंजीनियरी, प्रबंध तथा भू-विज्ञान विषयों में बहुत से उद्योगोन्मुख स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। माइन आयोजना तथा डिजाइन, ओपन कास्ट माइनिंग, मिनरल इंजीनियरी, औद्योगिक इंजीनियरी तथा प्रंबध, ड्रिलिंग इंजीनियरी, ईंधन इंजीनियरी, अनुरक्षण इंजीनियरी और ट्राइबायोलोजी, पेट्रोलियम इंजीनियरी, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, राक एक्सकेवेशन इंजीनियरी तथा लोंगोवाल माइन मेकेनाइसेशन, विषयों में 3-सेमेस्टर अवधि के तथा विज्ञान में एम.फिल. और एम.बी.ए. के 2-सेमेस्टर कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

परियोजना में अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम के उत्तर-पूर्वी राज्य, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें पहली दो परियोजनाओं में शामिल नहीं किया जा सका था। पहली दो परियोजनाओं की तरह तकनीकी शिक्षा III में भी केन्द्र मार्ग दर्शन, समर्थन और मॉनीटरिंग तंत्र का भी एक लघु तत्व है जिस के लिए एक नई राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एन.पी.आई.यू.) की स्थापना की गई है। एन.पी.आई.यू. के मुख्य कार्य परियोजना आयोजना और कार्यान्वयन, मानीटरिंग और परियोजना कार्यान्वयन की पुनरीक्षा, परामर्शी सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध करना, तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न निकायों के साथ सम्पर्क आदि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश और दिशा निर्देश उपलब्ध कराना है।

71. **अनुसंधान और विकास** : अनुसंधान और विकास स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के अंतर्विषयक और उभरते हुए नए क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं का वित्तपोषण करना है। स्कीम में वर्तमान प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित तकनीकी क्षमता निर्माण में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है। तकनीकी संस्थानों विशेष रूप से इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले संस्थानों को इस स्कीम की परिधि में लाया गया है।

यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.आई.) द्वारा कार्यान्वित की गई, जो कि 1996-97 तक मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय था। तथापि, केन्द्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालयों (आर.ई.सी.) के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि यह स्कीम मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 1997-98 से कार्यान्वित की जाएगी। 1997-98 से यह स्कीम मंत्रालय में कार्यान्वित है।

72. **आधुनिकीकरण और अप्रचलित को हटाना** : आधुनिकीकरण और अप्रचलित को हटाने की स्कीम के तहत उपकरणों, मशीनों, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और पुस्तकालयों तथा संबद्ध सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम विकास लाने की दृष्टि से तकनीकी संस्थानों की कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण किया जाता है।

यह स्कीम, वर्ष 1996-97 तक मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में रह चुकी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कार्यान्वित की गई। तथापि, केन्द्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालयों के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि यह स्कीम मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 1997-98 से कार्यान्वित की जाएगी। वर्ष 1997-98 से लेकर यह स्कीम मंत्रालय में कार्यान्वित है।

73. **तकनीकी शिक्षा के महत्व वाले क्षेत्र** : तकनीकी शिक्षा के महत्व वाले क्षेत्र की स्कीम में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:-

(i) प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जहां कमजोरी है, सुविधाएं सुदृढ़ करना।

(ii) उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आधार संरचना का सृजन।

(iii) नई और/या उन्नत प्रौद्योगिकियों संबंधी कार्यक्रम और विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम प्रदान करना।

इस स्कीम का कार्यान्वयन ए.आई.सी.टी.ई., जो मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, द्वारा 1996-97 तक किया गया था। परन्तु केन्द्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि स्कीम का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 1997-98 से मंत्रालय में किया जाएगा। वर्ष 1997-98 से आगे इस स्कीम को मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

74. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बी.ओ.ए.टी.)** : मुम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई में स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड हैं। यह स्वायत्तशासी संगठन है जिनका निधि पोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा पूर्ण रूप से किया जाता है।

प्रशिक्षुता अधिनियम के अंतर्गत इन क्षेत्रीय बी.ओ.ए.टी. को स्नातक इंजीनियरों, तकनीशियनों (डिप्लोमा धारकों) और तकनीशियनों (व्यावसायिक) के संबंध में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत किया गया है। स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे प्रशिक्षुओं को शिक्षावृत्ति दी जा रही है जिसकी साझेदारी 50 : 50 आधार पर केन्द्र सरकार और उद्योगों/प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा की जाती है।

75. **व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान** : देश में पॉलिटेकनिक्स के उन्नयन के लिए विश्व बैंक की सहायता से देश में चलाई गई तकनीकी शिक्षा I एवं तकनीकी शिक्षा II परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा III नामक अन्य परियोजना शुरु की है। इस परियोजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं जिन्हें पहले की दो परियोजनाओं में शामिल नहीं किया जा सका था। पहली दो परियोजनाओं की तरह तकनीकी शिक्षा III में भी केन्द्रीय मार्गदर्शन, सहायता और मानीटरिंग तंत्र का छोटा हिस्सा होगा जिसके लिए एक नए राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एन.पी.आई.यू.) की स्थापना की गई है। एन.पी.आई.यू. का मुख्य कार्य राज्यों/संघ राज्यों को परियोजना तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन, परियोजना कार्यान्वयन की मानीटरिंग एवं पुनरीक्षा के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करना, परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी शिक्षा से जुड़े विभिन्न निकायों के साथ संपर्क करना है।

76. **अन्य कार्यक्रम**

एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (ए.आई.टी.) बैंकाक : ए.आई.टी. की स्थापना 1959 में एस.ई.ए.टी.ओ. सदस्य राज्यों की अग्रिम तकनीकी शिक्षा आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से एस.ई.ए.टी.ओ. ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में की गई थी। 1967 में सीटू ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया और संस्थान का एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के रूप में पुनर्नामकरण किया गया और प्रबंध कार्य अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को सौंपने के साथ ही यह एक स्वायत्त संस्थान बन गया। भारत अपनी व्यौक्तिक क्षमता में प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्रियों द्वारा ए.आई.टी. के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में प्रतिनिधित्व रखता है। इस समय प्रो. अशोक चन्द्र, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विशेष सचिव ए.आई.टी., बैंकाक के बी.ओ.टी. के एक सदस्य हैं।

भारत संकाय को बढ़ावा देने (सैंकेंडमेंट) और भारत में अकादमी संबंधित गतिविधियों और भारतीय उपस्कर व पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय के लिए प्रति वर्ष 3 लाख रुपए के नकद अनुदान के जरिए ए.आई.टी., बैंकाक को अंशदान करता है।

तकनीकी संस्थानों के वेतनमानों के संशोधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता : 1.1.1996 से 31.3.2001 तक की अवधि के लिए डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों के संशोधित वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए शामिल अतिरिक्त व्यय के 80 प्रतिशत भाग को वहन करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

एजुकेशनल कन्सल्टेंटस इंडिया लिमिटेड (एज.सी.आई.एल): तकनीकी सहायता गतिविधियों जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, सर्वेक्षण करने आदि जैसी तकनीकी सहायता गतिविधियों पर केन्द्रित विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं को अपनाने के लिए 1981 में भारत सरकार के उपक्रम के रूप में एज.सी.आई.एल. की स्थापना की गई थी। विदेश में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संवर्द्धन, भारतीय संस्थानों में विदेशी विद्यार्थियों के प्रवेश और विदेशों व भारत में एज.सी.आई.एल. के अनुयायियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के समर्थन/भर्ती से संबंधित गतिविधियों को शामिल करने के लिए इसके क्षेत्र को तद्नुसार विस्तृत किया गया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान एज.सी.आई.एल. ने अपने प्रचालन के क्षेत्रों का और विस्तार किया और टर्नकी निर्माण तथा अधिप्राप्ति परियोजनाओं (शैक्षणिक संस्थानों पर संकेन्द्रण सहित) को अपनाने तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा भर्ती के लिए जांच गतिविधियां भी अपनाईं।

एजू.सी.आई.एल. लाभ देने वाला सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और पिछले 14 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है तथा भारत सरकार को नियमित रूप से लाभांश अदा कर रहा है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान एज.सी.आई.एल. ने शैक्षणिक संस्थानों जैसे आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद, आई.आई.आई.टी.एम., ग्वालियर, मोरारजी देसाई आवासीय स्कूल काम्पलैक्स के लिए प्रमुख टर्नकी परियोजनाएं अपनाईं हैं। एज.सी.आई.एल. शैक्षणिक संस्थानों और आई.टी. साक्षरता परियोजना के लिए अधिप्राप्ति गतिविधियों में भी संलग्न है। एज.सी.आई.एल., एम.एच.आर.डी.-डी.पी.ई.पी., महिला और बाल कल्याण विकास विभाग के अंतर्गत स्व-शक्ति परियोजनाओं के लिए संभार तंत्र समर्थन परियोजनाएं उपलब्ध कराता है।

भारतीय शिक्षा के निर्यात में वृद्धि करने, विदेश में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का संवर्धन करने और विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए एज.सी.आई.एल. की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को योजनागत रूप से बढ़ाया गया। इस संबंध में, एज.सी.आई.एल. ने विदेशों में बड़ी संख्या में शिक्षा मेले आयोजित किए तथा उनमें भाग लिया। इन मेलों के दौरान मुख्य गतिविधियां सेमिनार, विद्यार्थियों को परामर्श और प्रदर्शनियां थी। एज.सी.आई.एल. ने अब तक ऐसे 14 मेले आयोजित किए/उनमें भाग लिया। भारतीय शिक्षा के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों के नामांकन के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करने के लिए इंडियन एजुकेशन पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एजुकेशनइंडिया4यू.काम आरंभ की गई।

विद्यार्थी काउंसलिंग एंड विकास कार्यक्रम : परामर्श और मार्गदर्शन योजना के उद्देश्य हैं:-

- डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर स्तरों पर विद्यार्थियों के लिए परामर्श और स्थिति निर्धारण की आवश्यकता का मूल्यांकन।
- तकनीकी अध्यापकों के लिए परामर्श में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि वे जब भी जरुरत हो अन्य अध्यापकों के प्रशिक्षक के रूप में भी काम कर सकें।
- विद्यार्थियों को समायोजन समस्याओं से निपटने, अच्छी शिक्षण प्रवीणता हासिल करने और आजीविका के लिए योजना तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की सहायता करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए उद्यमशील प्रतिभा का विकास करना।
- विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके संभव समाधान से अध्यापकों, विद्यार्थियों, प्रशासकों आदि को परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सेमिनार, सम्मेलनों और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- विद्यार्थियों को उनकी अन्योन्यक्रिया को सुगम बनाने, पत्रों, परियोजनाओं, प्रश्न मंचों और उन्हें पुरस्कार प्रदान करने के जरिए प्रतिभाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों की क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित करना।
- विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और नूतनता को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा तैयार परियोजनाओं की क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित करना।
- अध्यापन के पेशे के बारे में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शन करने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और विचार-विमर्श आयोजित करना।

अनुसंधान और सूचना सेवाएं : अनुसंधान और आसूचना सेवा स्कीम का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है जो व्यवस्था में प्रभाव तथा त्रुटियों, विपथनों, बाध्यताओं और अकार्यकुशलता को प्रकाश में लाएगा। तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अनुसंधान संबंधी अध्ययन से ऐसी बाध्यताओं और त्रुटियों को दूर करने की दृष्टि से व्यवस्था की पुनर्संरचना में सहायता मिलेगी। योजना भारत में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं पर विस्तृत डाटाबेस तैयार करेगी और ऐसी सुविधाओं से परिणाम प्रस्तुत करेगी। यह डाटा नई स्कीमों की योजना तैयार करने और नियमित आधार पर विद्यमान योजनाओं में संशोधन करने में सहायता मिलेगी।

77. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानः** पूर्वोत्तर प्रदेश के विकास के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र तथा प्रायोगिक विज्ञान श्रृंखला में दक्षतापूर्ण जनशक्ति का सृजन करने के लिए 1986 में इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, की स्थापना की गई। जबकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा था तो इसका वित्तपोषण पहले उत्तर-पूर्वी परिषद के माध्यम से किया जा रहा था। 1994-95 से संस्थान का वित्तपोषण माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को एक बेजोड़ संस्थान माना गया है जिसने मॉड्यूलर कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रस्तुत की है, प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है और इसमें प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक विज्ञान के 6 से 7 प्रमाण-पत्र, 7 डिप्लोमा और 7 डिग्री पाठ्यक्रम हैं। ये माडयूल व्यवसायिक स्तरों जैसे कि तकनीशियनों, पर्यवेक्षणों और इंजीनियरों के साथ सम्पर्क रखने की व्यवस्था करते हैं। आधार और डिप्लोमा माडयूल न्यूनतर माडयूल/माडयूलों में विद्यार्थियों के अपेक्षित कार्य निष्पादन और कतिपय पूरक पाठयक्रमों को पूरा करने की शर्त के अधीन अगले उच्चतर माडयूल को प्रविष्टि देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक माडयूल के अन्त में विद्यार्थियों का एक निश्चित प्रतिशत चाहे तो स्वेच्छा से अथवा अनिवार्य रूप से इसे छोड़कर चला जाता है। इस माडयूलर एवं अभिनव शैक्षणिक कार्यक्रम का उद्देश्य व्यवसायीकरण की नीति को प्रोत्साहन देना और केवल इच्छुक विद्यार्थियों को ही उच्चतर अध्ययनों की अनुमति देने के साथ-साथ अन्य विद्यार्थियों को कार्य करने अथवा अपनी उद्यम संबंधी दक्षताओं का विकास करने की अनुमति देना है।

नेरिस्ट को पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के साथ अनन्तिम रूप से जोड़ा गया है। इस संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

शारीरिक शिक्षा

78. **योग को प्रोत्साहन :** इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य योग में शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अखिल भारतीय स्वरूप के योग संस्थानों को भी योग में अनुसंधान और प्रशिक्षण अध्यापकों सहित अनुरक्षण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

79. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से संबंधित योजनाओं के लिए 215.11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।